

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

2018 नं
00821

सरकार जारि न. नं. बनेड़ा बनाम सौदन लाल वर्मा

किस्म मुकदमा 88 RT act नं. 63/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

24-4-18

वकील वारी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RT act
 विरुद्ध विपक्षी गण पेश किया गया । वाद पत्र बाद जाँच
 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक
 21-5-2018 को पेश हो ।

21.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम कंकोलिया में पेश हुई। वादी राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर में उपस्थित। समस्त विपक्षीगण नियत शिविर में अनुपस्थित। वादी याने राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत सहखातेदारान के हिस्सों के सही विभक्तीकरण करा, घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। पत्रावली में प्राप्त विपक्षीगण संख्या 09, 25 से 28, 32 की लौटकर प्राप्त तामील रिपोर्ट पर उपरोक्त विपक्षीगणों का फौत होना वर्णित आया है। यह वादपत्र वादी द्वारा हाल ही में दिनांक 24.04.2018 को पेश किया गया है, यानि मृतक पक्षकरान को प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 09, 25 से 28, 32 के स्थान पर संयोजित कर, न्यायालय को अन्धरे में रखते हुए, वादी ने यह वादपत्र कानूनन दृष्टि से दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है, जो कर्तई न्यायालय में चलने योग्य नहीं होकर, काबिले खारिज योग्य है। वादी द्वारा कारित त्रूटी पत्रावली को देखने से सिद्ध होती है, एवं इस प्रकार की गलती का पुष्टीकरण शिविर में उपस्थित मौतबिरान के कथनो से होता है, जो कर्तई क्षम्य योग्य नहीं है।

अतः वादी का वादपत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।